**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।**

**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1437 /2026**

**CNR No.UPBB 0100 3271 2026**

शशि वर्मा आयु करीब 32 साल पत्नी शिवा सिंह पुत्री शिव विशाल निवासी ग्राम दाऊदपुर थाना देवां, जिला बाराबंकी।

—————— प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–94 / 2026
धारा–80(2), 85 बीएनएस
व धारा 3 / 4 डी पी एक्ट
थाना–मसौली,
जिला–बाराबंकी।

| | |
|---|---|
| अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता | श्री राम सूचित यादव |
| अभियोजन पक्ष की ओर से | श्री अमित कुमार अवस्थी,<br>प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी । |
| जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक | 19.05.2026 |
| जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक | 04.06.2026 |

**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1441 /2026**

**CNR No.UPBB 0100 3274 2026**

आकाश वर्मा आयु करीब 32 साल पुत्र शिव विशाल शोभनपुरवा थाना मसौली जिला बाराबंकी।

—————— प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–94 / 2026
धारा–80(2), 85 बीएनएस
व धारा 3 / 4 डी पी एक्ट
थाना–मसौली,
जिला–बाराबंकी।

| | |
|---|---|
| अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता | श्री दान सिंह |
| अभियोजन पक्ष की ओर से | श्री अमित कुमार अवस्थी,<br>प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी । |
| जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक | 19.05.2026 |
| जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक | 04.06.2026 |

**अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1539 /2026**

**CNR No.UPBB 0100 3497 2026**

विमला देवी आयु करीब 57 साल पत्नी शिव विशाल ग्राम शोभनपुरवा थाना मसौली जिला बाराबंकी।

—————— प्रार्थी / अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार — विपक्षी।

अपराध सं–94 / 2026
धारा–80(2), 85 बीएनएस
व धारा 3 / 4 डी पी एक्ट
थाना–मसौली,
जिला–बाराबंकी।

| | |
|---|---|
| अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता | श्री दान सिंह |
| अभियोजन पक्ष की ओर से | श्री अमित कुमार अवस्थी,<br>प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी । |
| जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक | 30.05.2026 |
| जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक | 04.06.2026 |

## निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उनका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी ने अपनी पुत्री डाली का विवाह आकाश निवासी शोभनपुरवा से किया था परन्तु उसके पति व परिवार के अन्य सदस्य दहेज से संतुष्ट नहीं थे, अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये की मांग करते थे और इसके लिये प्रताड़ित करते थे। उसकी पुत्री की बात उसके पति से दिनांक 24.04.2026 को हुयी और उसके बाद उसकी पुत्री ने आत्महत्या कर ली, सीएचसी ले गये जहां पर डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसकी पुत्री का लिखा सुसाईड नोट प्राप्त हुआ है।

आवेदिका/अभियुक्ता शशि वर्मा की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुये तर्क किया गया कि उसे गलत रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता का विवाह 8 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा वह अपनी ससुराल ग्राम दाउदपुर थाना देवां बाराबंकी में अपने पति के साथ रहती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण से उसका कोई लेना देना नहीं है। मृतका की कोई बातचीत, आवेदिका/अभियुक्ता से नहीं हुयी है।

आवेदक/अभियुक्त आकाश वर्मा व आवेदिका/अभियुक्ता विमला देवी की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा न तो दहेज की मांग की गयी है न ही किसी प्रकार से प्रताड़ित किया गया है, विवाह के पश्चात से कोई मतभेद मृतका से नहीं था। आवेदक/अभियुक्त लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है तथा उसका मृतका से कोई विवाद नहीं था। दिनांक 20.04.2026 को मृतका की हंसी खुशी बात आवेदिका/अभियुक्ता विमला देवी से हुयी थी। सुसाईड नोट में कहीं पर दहेज मांगने या प्रताड़ित करने की बात नहीं लिखी है। मृतका की बातचीत की कॉल रिकार्डिंग व चैट उपलब्ध है। उपरोक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता है। अभियुक्तगण मृतका का ससुर है तथा दहेज में अतिरिक्त एक लाख रूपये की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। मृतका, अभियुक्तगण के साथ निवास करती थी। मृतका द्वारा सुसाईड नोट में घटना के बावत उल्लेख किया गया है। मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुयी है। मृतका के गले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

जहां पर अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है वहां पर न्यायालय को ऐसे प्रार्थनापत्र पर सुनवायी के समय अपराध की गम्भीरता एवं अपराध कारित किये जाने की प्रकृति के साथ साथ इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिये कि क्या वादी द्वारा अभियुक्त को झूठे मुकदमें में

नामित कर उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के आशय से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है या नहीं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **पी0 चिदम्बरम बनाम डायरेक्टर ऑफ इमफोर्समेन्ट ए0आई0आर0 2019 सुप्रीम कोर्ट 4198** में यह अवधारित किया गया है कि अग्रिम जमानत मात्र विरलतम परिस्थितियों में ही स्वीकार की जा सकती है।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। पुलिस प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त विशाल मृतका का पति है, अभियुक्ता शशि वर्मा ननद है तथा अभियुक्ता विमलादेवी मृतका की सास है। आवेदक/अभियुक्तगण पर अतिरिक्त दहेज में एक लाख रूपये मांगने व प्रताड़ित करने का अभियोग है। मृतका द्वारा सुसाईड नोट में अभियुक्तगण का नाम अंकित किया गया है। सुसाईड नोट में मृतका द्वारा जो उल्लिखित किया गया है उसके आधार पर यह तथ्य दर्शित हो रहा है कि *मृतका जब से ससुराल आयी है किसी ने उसे अपनाया नहीं और सभी लोग मिलकर उसे टार्चर करते थे और उसे पंचाली होने का आरोप लगाते थे, गाली देते थे, चरित्रहीन बना दिया, उसे मरने के लिये मजबूर किया गया, उसकी मौत के जिम्मेदार उसके पति, ननद, सास व ससुर हैं*। केसडायरी के साथ सुसाईड नोट की छाया प्रति उपलब्ध है जिस पर मृतका के हस्ताक्षर हैं। मृतका के गले पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिगेचर मार्क पाया गया है। मृतका का विवाह दिनांक 06.02.2026 को हुआ है तथा मृतका की मृत्यु दिनांक 24.04.2026 को होने का अभियोजन कथानक है। मृतका की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के अन्दर असामान्य परिस्थितियों में हुयी है। अपराध दहेज हत्या से सम्बन्धित है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

आवेदक/अभियुक्तगण को प्रथम सूचना रिपोर्ट में झूठा नामित किये जाने के सम्बन्ध में कोई युक्ति–युक्त कारण जमानत प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शित किया गया है। आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर किस्म का है। मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता व समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण 1–शशि वर्मा, 2–आकाश वर्मा तथा 3–विमलादेवी उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

जमानत आदेश की एक एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1441/2026 आकाश वर्मा बनाम राज्य व जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1539/2026 विमला देवी बनाम राज्य की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांक–04.06.2026

**(प्रतिमा श्रीवास्तव)**
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
UP1899